

08-07-17

प्रकरण नेशनल लोक अदालत दिनांक 08.07.17 में पेश।

राज्य द्वारा एडीपीओ।

अभियुक्तगण सहित अधिवक्ता श्री रघुनाथ त्रिवेदिया।

फरियादी एवं आहत रामप्रकाश, दाताराम, उषाबाई व मालती उप०।

प्रकरण राजीनामा हेतु नियत है।

फरियादी एवं आहतगण की ओर से राजीनामा हेतु आवेदन पत्र मय लोक अदालत डॉकेट हस्ताक्षर कर एवं छायाचित्र चस्पाकर प्रस्तुत किया गया। फरियादी एवं आहत की पहचान श्री के०के० शुक्ला एवं अभियुक्तगण की पहचान अधिवक्ता श्री रघुनाथ त्रिवेदिया ने की।

उभयपक्षों को सुना। प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी एवं आहत ने अभियुक्तगण से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है।

अभियुक्तगण पर भादवि० की धारा 294, 323 चार काउण्ट सहपठित धारा 34 एवं 506 बी के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। उक्त धारा का आरोप न्यायालय की अनुमति से फरियादी द्वारा शमनीय है। पीठ सदस्यगण द्वारा प्रकरण में राजीनामा स्वीकार किए जाने की अनुशंसा की गयी। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अतः राजीनामा बाद तत्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण को धारा 294, 323 चार काउण्ट सहपठित धारा 34 एवं 506 बी भा०द०वि० के अपराध आरोप से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्तगण की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्तगण के प्रतिभूति व बंधपत्र भारमुक्त किए जाते हैं।

प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति लाठी मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे।

आदेश की प्रति पक्षकारों को निःशुल्क प्रदाय की जावे।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत पंजी में दर्जकर अभिलेखागार भेजा जावे।

सही/—

सदस्य

सही/—

सदस्य

सही/—

पीठासीन अधिकारी